



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

## दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

( भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित )

## THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/208  
दिनांक: 04.06.2026

को,  
प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सदस्य

महोदय/महोदया,

**विषय: वित्त अधिनियम, 2026 के अंतर्गत किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति) का संरक्षण**

**संदर्भ: डीजीएफटी व्यापार सूचना संख्या: 07/2026-27 दिनांक 03.06.2026**

हम आपको सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में किए गए अनेक परिवर्तनों के संबंध में जारी व्यापार सूचना के बारे में सूचित करना चाहते हैं, जिनमें एचएस कोड, उत्पाद विवरण और अध्याय संबंधी संशोधन शामिल हैं। इन परिवर्तनों के मद्देनजर, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) आईटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची-II (निर्यात नीति) को तदनुसार संरक्षित करने की प्रक्रिया में है।

**वित्त अधिनियम, 2026 में प्रस्तुत अध्याय नोटों में प्रस्तावित परिवर्तन**

**अध्याय 39:(परिशिष्ट I)**

**पूर्व आईटीसी(एचएस) कोड प्रस्तावित संरक्षण**

3923 29 90

इसे 3923 29 91 (बायोडिग्रेडेबल) और 3923 29 99 (अन्य) में विभाजित करें।

**पूरक टिप्पणियाँ:** अध्याय 39 में, शीर्ष 3904 की सभी शुल्क मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, "7.5%" (बीसीडी) प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

**वित्त अधिनियम, 2026 में प्रस्तावित एचएस कोड और उत्पाद विवरणों में परिवर्तन**

**अध्याय 39: (परिशिष्ट II)**

डीजीएफटी इन नए कोडों के लिए निर्यात नीति प्रविष्टि को अद्यतन करता है।

**टैरिफ मद :** 3923 29 91 और 39232999

**नीति :** मुक्त (डीजीएफटी से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के अनुमत है)।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक व्यापार सूचना के लिए यहां देखें:

[https://membership.plasticsepc.org/emails\\_images/202606041240\\_07.pdf](https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202606041240_07.pdf)

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि कोई सुझाव/टिप्पणी हो तो उसे इस व्यापार सूचना के जारी होने के 7 दिनों के भीतर ई-मेल के माध्यम से [export-dgft@nic.in](mailto:export-dgft@nic.in) पर भेजें।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकौन्सिल

